(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1958–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–6–16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, आरोन जिला गुना प्रकरण कमांक 2/अ–68/2015–16.

1– इकबाल अहमद पुत्र बजीर खॉ
2– इकरार अहमद पुत्र इकबाद खॉ
3– इरफान अहमद पुत्र इकबाल खॉ
4– इंसाफ अहमद पुत्र इकबाल खॉ
निवासीगण ग्राम आरोन
तहसील आरोन जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

श्री अजय रघुवंशी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी0एन0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/2/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, आरोन जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा ग्राम आरोन स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 1344/2 रकबा 2.296 हेक्टेयर में से क्षेत्रफल 40x30=1200 वर्गफीट पर अवैध अतिकमण पाये जाने के कारण तहसीलदार, आरोन द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–68/2015–16 दर्ज कर दिनांक 4–4–2016 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदकगण को कब्जा हटाये जाने के निर्देश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के पालन में आवेदकगण द्वारा कब्जा नहीं हटाये जाने के कारण तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 248 के तहत सिविल कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, आरोन,

जिला गुना के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–6–2016 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 248 के तहत आवेदकगण को सिविल कारागार भेजने के लिए जेल सुपुर्द करने संबंधी वारंट जारी करने के निर्देश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–4–2016 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि ग्राह्य हो गई है, परन्तु मूल प्रकरण अपील प्रकरण के साथ संलग्न नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मूल प्रकरण एवं अपील प्रकरण में पृथक–पृथक कार्यवाही करने में अवैधानिकता की जा रही है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 52 के अंतर्गत स्थगन नहीं दिये जाने के कारण इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई थी, और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 3–5–2016 को तीन माह के लिए यथास्थिति कायम रखते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि अनुविभागीय अधिकारी संहिता की धारा 52 के आवेदन पत्र का निराकरण करें, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सिविल जेल की कार्यवाही करने संबंधी आदेश पारित करने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा भी आवेदकगण के कब्जे में दखल नहीं करने संबंधी आदेश दिनांक 28–9–2016 को पारित किया गया है, इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही अवैधानिक हो जाता है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि आवेदकगण द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था, और बेदखली के आदेश होने के पश्चात भी कब्जा नहीं हटाया गया था, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सिविल जेल की कार्यवाही करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित मूल आदेश का कियान्वयन नहीं होने पर अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि आवेदक को चाहिए था कि वह मूल आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करते, और यदि उनके द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी गई है तो वे उसका शीघ्र निराकरण करायें । मूल आदेश के कियान्वयन के निर्देश देने संबंधी कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, आरोन जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर